



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234792
CG-DL-E-01042022-234792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944

No. 175]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2022

सं. एन-12/13/01/2019-यो.एवंवि.—जबकि क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना में पात्रता शर्त को शिथिल करने के लिए मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 81), दिनांक 09.02.2022 को प्रकाशित की गई थी।

और जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 09.02.2022 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और प्राप्त सुझाव पर विचार किया गया;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा दिनांक 24.03.2020 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क. रा. बी. निगम कोविड-19 राहत योजना की पात्रता शर्त की शिथिलता को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:-

“मृतक बीमाकृत व्यक्ति को कोविड-19 रोग के निदान की तिथि पर रोजगार में होना चाहिए और कोविड-19 रोग जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई के निदान के ठीक पिछले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके संबंध में कम से कम 35 दिनों के लिये अंशदान का भुगतान किया गया हो अथवा देय हो।”

एस. रविचंद्रन, बीमा आयुक्त (यो.एवंवि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./729/2021-22]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd March, 2022

No. N-12/13/01/2019-P&D.—Whereas draft notification to provide relaxation in the eligibility condition of ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME was published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No. 81) dated 09.02.2022.

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 09.02.2022;

And the suggestion received was duly considered;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to relax the eligibility condition of ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME with effect from 24.03.2020 as under:-

“The deceased Insured Person must have been in employment on the date of diagnosis of COVID-19 disease and contributions for at least 35 days should have been paid or payable in respect of him/her during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease resulting in death.”

S. RAVICHANDRAN, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./729/2021-22]



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स. N-12/13/1/2019- योववि

दिनांक : 17.08.2021

परिपत्र

Circular

विषय :- एसिक कोविड-19 राहत योजना ।

Sub: ESIC COVID-19 Relief Scheme.

उपरोक्त विषय पर अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III --- खण्ड 4 में दिनांक 13.08.2021 को प्रकाशित किया गया है, की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एसिक कोविड-19 राहत योजना अधिसूचित कर दिया गया है जो दिनांक 24.03.2020 से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

Enclosed herewith is a copy of the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III - Section - 4 on 13.08.2021 for information.

ESIC Covid-19 Relief Scheme has been notified and shall be effective from 24.03.2020 for the period of two years.

संलग्न - यथोपरि


(पी आर सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय / विभागीय कार्यालय, को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229010
CG-DL-E-14082021-229010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

सं. एन-12/13/1/2019 यो.एवं वि.—जबकि क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना अधिसूचित करने हेतु भारत का राजपत्र असाधारण भाग-III खंड 4 क्रम सं. 245, दिनांक 18.06.2021 में मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें इससे प्रभावित हो सकने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.06.2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया था;

इसलिए अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (1) के तहत इसमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 19 के तहत बीमाकृत व्यक्तियों, जो क.रा.बी. अधिनियम की धारा 2(9) के तहत कर्मचारी हैं; हेतु कल्याणकारी उपाय के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम 'एसिक कोविड-19 राहत योजना' को एतद्वारा अधिसूचित करता है जिसके तहत कोविड-19 से बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के मामले में; बीमाकृत व्यक्ति के पात्र आश्रित परिवार सदस्यों को सीधे ही उनके बैंक खातों में आवधिक भुगतान किए जाएंगे।

2. योजना की पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- क. बीमाकृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु कोविड-19 रोग के कारण हुई है, उसे कोविड-19 रोग जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, के निदान की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व क.रा.बी.निगम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुका होना चाहिए।

ख. मृतक बीमाकृत व्यक्ति को कोविड-19 रोग के निदान की तिथि पर रोजगार में होना चाहिए और कोविड-19 रोग जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई के निदान के ठीक पिछले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके सम्बन्ध में कम से कम 70 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान किया गया हो अथवा देय हो।

3. कोविड-19 के कारण मृत्यु की स्थिति में, बीमाकृत व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधी योजना के अंतर्गत आवधिक भुगतान प्राप्त करने के पात्र होंगे :-

- i. विवाहिती, धर्मज अथवा दत्तक पुत्र जिसने अभी पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अविवाहित धर्मज अथवा दत्तक पुत्री;
- ii. विधवा माता
- iii. यदि बीमाकृत व्यक्ति पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः आश्रित हो, धर्मज अथवा दत्तक पुत्र अथवा पुत्री जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अशक्त हो।
- iv. यदि मृतक बीमाकृत व्यक्ति का/की विवाहिती अथवा धर्मज अथवा दत्तक संतान अथवा विधवा माता नहीं है तो निम्नलिखित संबंधी यदि पूर्णतः अथवा अंशतः बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके अर्जन पर आश्रित हों :-
 - क. विधवा माता के अलावा अन्य माता-पिता।
 - ख. अवयस्क अधर्मज पुत्र, अविवाहिती अधर्मज पुत्री अथवा धर्मज या दत्तक या अधर्मज पुत्री यदि विवाहित हो और अवयस्क हो अथवा यदि विधवा हो तथा अवयस्क हो।
 - ग. अवयस्क भाई अथवा अविवाहित बहन अथवा विधवा बहन यदि अवयस्क हो,
 - घ. विधवा बहू,
 - ङ. पूर्वमृत पुत्र की अवयस्क संतान
 - च. पूर्वमृत पुत्री की अवयस्क संतान, जहां संतान के माता-पिता जीवित न हों, अथवा
 - छ. दादा-दादी यदि बीमाकृत व्यक्ति के माता-पिता जीवित न हों।

4. मृतक बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी का 90%, जिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगा, कोविड-19 बीमारी के कारण मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितजनों को उसका भुगतान निम्नानुसार तरीके से किया जाएगा:-

- i. जीवनकाल के दौरान विवाहिती को पूर्ण दर के तीन बटा पांच के समतुल्य राशि। यदि उसकी दो अथवा उससे अधिक विधवाएँ हों तो पूर्वकथित अनुसार विवाहिती को देय राशि उन विधवाओं के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी।
- ii. प्रत्येक वैध अथवा दत्तक पुत्र के लिए पच्चीस वर्ष का होने तक पूर्ण दर के दो बटे पांच भाग के समतुल्य राशि। धर्मज अथवा दत्तक पुत्र यदि अशक्त हो तथा वह बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आय पर पूर्णतः आश्रित हो, तो उस स्थिति में उस पुत्र की अशक्तता स्थिति बने रहने तक उसे राहत का भुगतान किया जाना जारी रहेगा;
- iii. प्रत्येक धर्मज अथवा दत्तक अविवाहित पुत्री के लिए पूर्ण दर के दो बटे पांच भाग के समतुल्य राशि। धर्मज अथवा दत्तक पुत्री यदि अशक्त हो तथा वह बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आय पर पूर्णतः आश्रित हो, तो उस स्थिति में उस पुत्री की अशक्तता स्थिति बने रहने तक उसे राहत का भुगतान किया जाना जारी रहेगा।
- iv. जीवनकाल के दौरान विधवा माता के लिए पूर्ण दर के दो बटा पांच भाग के समतुल्य राशि।
- v. यदि मृतक व्यक्ति के विवाहिती, धर्मज अथवा दत्तक संतानों और विधवा माता के बीच योजना के अंतर्गत वितरित राहत की कुल राशि, पूर्वोक्त के अनुसार किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक होती है तो प्रत्येक आश्रितजनों के भाग में से राशि आनुपातिक रूप से कम की जाएगी ताकि उन्हें देय कुल राशि, पूर्ण दर पर राशि से अधिक न हो।

vi. यदि मृतक व्यक्ति के पीछे उसकी विवाहिती अथवा धर्मज या दत्तक संतान अथवा विधवा माता नहीं हों तो अन्य आश्रितजनों को निम्नानुसार राहत देय होगी:-

(क) विधवा माता के अलावा अन्य माता-पिता अथवा दादा-दादी को जीवनकाल के लिए, पूर्ण दर के तीन बटा दसवां भाग के समतुल्य राशि और यदि विधवा माता के अलावा दो अथवा अधिक माता-पिता या दादा-दादी हों तो विधवा माता के अलावा माता-पिता अथवा दादा-दादी को पूर्वोक्त के अनुसार राशि समान रूप से उनके बीच विभाजित होगी।

(ख) किसी अन्य—

- (i) पुरुष आश्रितजन के लिए- उसके अठारह वर्ष की आयु प्राप्ति तक,
- (ii) महिला आश्रितजन के लिए- अठारह वर्ष की आयु प्राप्ति अथवा उसके विवाह, जो भी पहले हो तक, अथवा यदि वह विधवा हो, तो उसके अठारह वर्ष की प्राप्ति अथवा पुनःविवाह, जो भी पहले हो, तक पूर्ण दर के दो बटे पांच भाग के समतुल्य राशि और यदि (ख) के अंतर्गत आश्रितजन एक से अधिक हो तो देय राशि सभी को बराबर विभाजित की जाएगी।

5. योजना, दिनांक 24.03.2020 से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

6. योजना के अंतर्गत न्यूनतम राहत रुपये 1800/- प्रतिमाह होगी।

एस. बिस्वास, वीमा आयुक्त (यो.एवं बि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./194/2021-22]

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

No. N-12/13/1/2019-P&D.—Whereas draft notification to further notify the ESIC COVID-19 Relief Scheme was published in the Gazette of India EXTRAORDINARY Part III Section 4 Sl. No 245 dated 18.06.2021 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of thirty days on which the notification was published;

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 18.06.2021;

And suggestion received were considered;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation, do hereby notifies ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME under Section 19 of the Act as a welfare measure for the Insured Persons who are employees under Section 2(9) of the ESI Act under which in case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependant family members of IP will be paid periodic payments directly to their bank accounts.

2. Eligibility conditions of the scheme are as under: -

- a) The IP who died due to COVID-19 disease must have been registered on the ESIC online portal at least three months prior to the date of diagnosis of COVID-19 disease resulting in his/ her death.
- b) The deceased IP must have been in employment on the date of diagnosis of COVID-19 disease and contributions for at least 70 days should have been paid or payable in respect of him/ her during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease resulting in death.

3. In case of death of the IP due to COVID-19, the following relatives of the deceased IP shall be eligible to receive periodical payments under the scheme:-

- i. spouse, a legitimate or adopted son who has not attained the age of twenty- five years, an unmarried legitimate or adopted daughter;
- ii. a widowed mother.
- iii. if wholly dependent on the earnings of the insured person at the time of his death, a legitimate or adopted son or daughter who has attained the age of twenty-five years and is infirm.

- iv. In case the deceased IP does not leave spouse or legitimate or adopted child or widowed mother then the following relatives, if wholly or in part dependant on the earnings of the Insured Person at the time of his death:-
 - a) a parent other than a widowed mother,
 - b) a minor illegitimate son, an unmarried illegitimate daughter or a daughter legitimate or adopted or illegitimate if married and a minor or if widowed and a minor,
 - c) a minor brother or an unmarried sister or a widowed sister if a minor,
 - d) a widowed daughter-in-law,
 - e) a minor child of a pre-deceased son,
 - f) a minor child of a pre-deceased daughter where no parent of the child is alive, or
 - g) a paternal grand-parent if no parent of the insured person is alive.
4. 90 % of the average daily wages of the deceased IP, which will be called as full rate of the relief, will be paid to the dependants of the IP who died due to COVID-19 disease in the manner as under: -
 - i. to the spouse during life, an amount equivalent to three-fifths of the full rate. If there are two or more widows, the amount payable to the spouse as aforesaid shall be divided equally between the widows;
 - ii. to each legitimate or adopted son, an amount equivalent to two-fifths of the full rate until he attains the age of twenty-five years. In the case of a legitimate or adopted son who is infirm and is wholly dependent on the earnings of the insured person at the time of his death, the relief shall continue to be paid while the infirmity lasts;
 - iii. to each legitimate or adopted unmarried daughter, an amount equivalent to two-fifths of the full rate. In the case of legitimate or adopted daughter who is infirm and is wholly dependent on the earnings of the insured person at the time of his death, the relief shall continue to be paid while the infirmity lasts.
 - iv. to the widowed mother during life an amount equivalent to two-fifths of the full rate.
 - v. If the total of the relief distributed under the scheme among the spouse, legitimate or adopted children and widowed mother of the deceased person as aforesaid exceeds at any time the full rate, the share of each of these dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of relief at the full rate.
 - vi. In case the deceased person does not leave spouse or legitimate or adopted child or widowed mother the relief shall be payable to other dependants as follows: -
 - a) To a parent other than the widowed mother or grand-parent, for life, at an amount equivalent to three-tenths of the full rate and if there are two or more parents (other than widowed mother) or grand-parents the amount payable to the parents (other than widowed mother) or grand-parents as aforesaid shall be equally divided between them.
 - b) to any other — (i) male dependant, until he attains the age of eighteen years,
(ii) female dependant, until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier or if widowed, until she attains eighteen years of age or re-marriage, whichever is earlier at an amount equivalent to two-tenths of the full rate and if there be more than one dependant under (b) the amount payable shall be distributed equally.
5. The Scheme shall be effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020.
6. The minimum relief under the scheme shall be Rs 1800/- per month.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./194/2021-22]